कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

क्रमांकः—एफ—1 ( )स्थापना / 2020 / दिनांकः— 26.6.2020

—:आदेशः—

राजस्थान कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रशासनिक सुधार (अनु—3) विभाग जयपुर के पत्र कमांक / प.1(1)प्रसु / अनु —3 / 2020 दिनांक 16.5.2020 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्न अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना कमांकः एफ. 15(1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 के शिडयूल IV के तहत लेवल—5 में 14600/— (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता हैः—

क्र. स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम / पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	नियुक्ति / पदस्थापन कार्यालय का नाम	चयन संवर्ग
1	2553	2421648	श्री सतपाल मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना	12.7.1992	ST	पूल अनुभाग कलेक्ट्रेट, बारां	GEN

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :—

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11 / एसटी, एससी, ओबीसी,एसबीसी / जा.प्र.प. / सामान्यअवि / 2015 / 54159 / दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606—726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सामान्यअवि / 2011 / 68999—69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा—निर्देशों के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.12(6)एफडी / रूल्स / 05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन कमांक एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम—16 व परिशिष्ठ—iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्दि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद की पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या—05 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
10. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्व विभाग जिला—बारां हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता कम में रहेगी।

11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
17. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी।
18. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
19. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्याः एफ–7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
20. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः एफ–6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नही होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकःएफ–6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
21. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शाषित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

sd/-
(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,
बारा

क्रमांकः–एफ–1 ( )स्थापना/2020/1451-66 दिनांकः–26.6.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–03) जयपुर के पत्रांक प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 दिनांक 16.5.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
3. एनालिस्ट कम–प्रौग्राम (उपनिदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बारां को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को बारां जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें व साथ ही एस.एम.एस. द्वारा भी अभ्यर्थी को सूचित करे।
4. प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग जिल कार्यालय बारां
5. कोषाधिकारी, बारां
6. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर, बारां/कार्यालय अधीक्षक,कलक्ट्रेट, बारां
7. संबंधित श्री श्री सतपाल मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना निवासी जमूल खेड़ा पोस्ट छारोदा जिला सवाई माधोपुर
8. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली

जिला कलक्टर,
बारां